

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ00सं0-जी0बी0डी0-01-20-132/2006..... 06 पटना, दिनांक-19.12.21

'कार्यालय आदेश'

पूर्वादेश को विखंडित करते हुए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यालय हेतु आवास संख्या-सी/25, इस्ट गार्डिनर रोड, पटना का अवधि विस्तार दिनांक-19.12.2016 से दिनांक-18.12.2018 तथा दिनांक-19.12.2018 से दिनांक-18.12.2020 तक के लिए जाता है।

2. आवास संख्या-सी/25, इस्ट गार्डिनर रोड के बदले केन्द्रीय पूल का आवास संख्या-ए-1, रोड नं0-6, आर ब्लॉक(Built up Area-2880 वर्गफीट/Open Campus Area-7488 वर्गफीट) पटना को दो वर्षों के लिए निम्नांकित शर्ताधीन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLSP) को कार्यालय हेतु आवंटित किया जाता है:-

1. दो वर्षों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् आवंटन का नवीनीकरण कराना होगा। नवीनीकरण उसी शर्त पर होगा बशर्ते कि समय पर पार्टी के द्वारा सभी देयताओं एवं करों का भुगतान कर दिया गया हो। आवंटन नवीकृत नहीं किये जाने की स्थिति में आवंटन रद्द माना जायेगा और नियमानुसार आवास खाली कराने की कार्रवाई की जायेगी।
2. आवंटित परिसर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्द्धन भवन निर्माण विभाग की अनुमति प्राप्त कर ही हो सकेगा।
3. राजनैतिक पार्टियों द्वारा कार्यालय हेतु आवासीय भवन के प्रभार ग्रहण की तिथि से मानक किराया का दस गुणा किराया देय होगा। विद्युत एवं जलकर आदि का भुगतान पार्टी द्वारा ही किया जायेगा।
4. पार्टी कार्यालय हेतु आवासीय भवन आवंटन पर अन्य शर्तें सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली 1986 एवं समय-समय पर होने वाले संशोधन के अनुरूप होगी।
5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(विनय कुमार)

उप सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांक:-जी0बी0डी0-01-20-132/2006

401 (म)

पटना, दिनांक:- 19.12.21

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, सी-25, इस्ट गार्डिनर रोड, वीरचन्द पटेल पथ(न्यू पटना क्लव के बगल में), पटना-800001/मुख्य अभियंता, पटना/मुख्य अभियंता, विद्युत/पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल/कर प्रमंडल/कार्यपालक अभियंता, न्यू राजधानी प्रमंडल, पेसू, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, भू-सम्पदा प्रशाखा/निदेशक, एन0आई0सी0/कनीय अभियंता, ई-निवास एवं आई.टी.मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना एवं निदेशक, एन0आई0सी0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।

AR
19/12/21